उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा
की कार्यसूची

मंगलवार, 1 माघ, शक संवत्, 1935
(दिनांक : 21 जनवरी, 2014)

समय : 11:00 बजे पूर्वाह्न

1. अल्प सूचित प्रश्न (देखिए नत्थी **"क"**)।

2. प्रश्न (देखिए नत्थी **"ख" तथा ''ग''**)

3. निधन के निदेश।

4. महिला सशक्तिकरण मंत्री, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग उत्तराखण्ड की वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 2012-13 तथा आपदा रिपोर्ट 2013 को सदन के पटल पर रखेंगे।

5. सदस्यों की गिरफ्तारी, निरोध व रिहाई की सूचनायें, यदि कोई हों।

6. श्री ललित फर्स्वाण, सदस्य, विधान सभा ''जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड बागेश्वर के बाजड़ दौला स्वीकृत मोटर मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में" श्री सोहन सिंह नेगी, निवासी ग्राम पंचायत भेटा, पो0 देवलबिछराल, जनपद बागेश्वर एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

7. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत मटोगी के मजरे कोल, की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अनिल कुमार निवासी ग्राम कोल, ग्राम सभा मटोगी पोस्ट मदर्सू व तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

8. श्री नव प्रभात, मा0 सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत भलेर के मजरे काण्डोई की वर्ष 2013 में वर्षा से ध्वस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी ग्राम- काण्डोई, ग्राम सभा-भलेर, पो आम्बाड़ी, तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

9. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत जीवनगढ़ की वर्ष 2013 में वर्षा से ध्वस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में’’ श्री रमेश सिंह तोमर, निवासी ग्राम–हथियारी, ग्राम सभा–भलेर, पो0–मर्दसू, तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

10. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत भलेर के मजरे हथियारी में वर्षा से ध्वस्त सुरक्षा दीवार बनाने एवं क्षतिग्रस्त पाईप लाईन बनाने के सम्बन्ध में’’ श्री रमेश सिंह तोमर, निवासी ग्राम–हथियारी, ग्राम सभा–भलेर, पो0–मर्दसू, तहसील विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

11. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत बावनधार के मजरे समेत की ध्वस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में’’ श्री भरत सिंह, निवासी ग्राम समेत, ग्राम सभा बावनधार, पोस्ट–मदर्सू व तहसील विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

12. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत रूद्रपुर के मजरे देवथला की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में’’ श्री भरत सिंह, निवासी–ग्राम देवथला, ग्राम सभा–रूद्रपुर, पोस्ट–रूद्रपुर व तहसील विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

13. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भीमावाला में यमुना नदी के बांये ओर शमशान घाट के समीप क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का सुरक्षा कार्य (स्पर न0 2) बनाने के सम्बन्ध में’’ श्री विनोद कुमार, निवासी ग्राम–भीमावाला, ग्राम सभा–भीमावाला, पोस्ट व तहसील–विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

14. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भीमावाला में यमुना नदी के बांये ओर शमशान घाट के समीप क्षतिग्रस्त कृषि भूमि का सुरक्षा कार्य (स्पर न0 1) बनाने के सम्बन्ध में’’ श्री विनोद कुमार, निवासी–ग्राम भीमावाला, ग्राम सभा–भीमावाला, पोस्ट व तहसील–विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

15. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ‘‘जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भलेर की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध मे’’ श्री बाबूलाल सिंह, निवासी–ग्राम नोकड़, फारसीला, ग्राम सभा– भलेर, पोस्ट–मदर्सू व तहसील विकास नगर, जनपद–देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

16. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा भलेर की ग्राम पंचायत भलेर, निगाई गाड में वर्षा से ध्वस्त पुलिया के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री चन्द्रपाल सिंह, निवासी-ग्राम भलेर, ग्राम सभा-भलेर, पो0-मदर्सू तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

17. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बद्रीपुर के ग्राम ढांगा राव नाले से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, निवासी ग्राम-बद्रीपुर, ग्राम सभा-मेदनीपुर-बद्रीपुर पो0- धर्मावाला, तहसील-विकास नगर, जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

18. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत भलेर के रतोई नाला की वर्षा से ध्वस्त सुरक्षा दीवार बनाने के सम्बन्ध में'' श्रीमती मीरा देवी, ग्राम प्रधान, निवासी ग्राम सभा-भलेर, पो0-मर्दसू, तहसील-विकास नगर जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

19. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बद्रीपुर में ढांगा राव नाले से राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को बाढ़ से हो रही क्षति की सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री राजवीर सिंह पंवार निवासी ग्राम बद्रीपुर ग्राम सभा मेदनीपुर-बद्रीपरु, पोस्ट-धर्मावाला व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

20. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम सभा बद्रीपुर के ग्राम रीठ राव नाले से ग्रामीण बस्ती की बाढ़ से हो रही क्षति की सुरक्षा के सम्बन्ध में'' श्री राजवीर सिंह पंवार, निवासी-ग्राम बद्रीपुर, ग्राम सभा मेदनीपुर-बद्रीपरु, पोस्ट-धर्मावाला व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून

21. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकास नगर की ग्राम पंचायत मटोगी के मजरे आगरीगांव की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध में'' श्री बलवान सिंह निवासी ग्राम मटोगी ग्राम सभा मटोगी पोस्ट मदर्सू व तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

22. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत मटोगी की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना बनाने के सम्बन्ध मे'' श्री बलवान सिंह, निवासी-ग्राम मटोगी, ग्राम सभा-मटोगी, पोस्ट-मदर्सू व तहसील विकास नगर जनपद देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

23. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा बुलाकीवाला की क्षतिग्रस्त टी-कट नहर के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अब्बास अली, निवासी-ग्राम बुलाकीवाला, ग्राम सभा-बुलाकीवाला, पोस्ट-अम्बाड़ी व तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

24. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत रूद्रपुर एवं ग्राम पंचायत केदारवाला की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री अनिल कुमार, निवासी-ग्राम व पो0 रूद्रपुर, ग्राम सभा-रूद्रपुर तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

25. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम सभा बुलाकीवाला की क्षतिग्रस्त तेलपुर नहर को कृषि भूमि की सिंचाई के लिये नहर निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री इमरान, निवासी-ग्राम तेलपुर, ग्राम सभा-बुलाकीवाला, पोस्ट- अम्बाड़ी, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

26. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत बावनधार के मजरे देवीथला की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री सुरेन्द्र सिंह, निवासी-ग्राम देवीथला, ग्राम सभा-बावनधार, पोस्ट-मदर्सू तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

27. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम मदर्सू के मजरे जााखन की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जगत सिंह निवासी-ग्राम जाखन, ग्राम सभा व पोस्ट-मदर्सू, तहसील, विकास नगर जनपद- देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

28. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत बावनधार की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री गोपाल सिंह निवासी-ग्राम बावनधार, ग्राम सभा-बावनधार, पोस्ट-मदर्सू, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

29. श्री नव प्रभात, सदस्य, विधान सभा, ''जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर की ग्राम पंचायत मटोगी के मजरे हरलुईथात की क्षतिग्रस्त पेयजल योजना के निर्माण के सम्बन्ध में'' श्री जगदीश सिंह, निवासी-ग्राम हरलुईथात, ग्राम सभा-मटोगी, पोस्ट-मदर्सू, तहसील-विकास नगर, जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

30. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर, सदस्य, विधान सभा, "जनपद देहरादून के विकास खण्ड, विकासनगर के ग्राम सोरना के सोरना लोअर की जीर्ण-शीर्ण पाइप लाईन का पुनर्निर्माण कराने के सम्बन्ध में" श्री बलवीर सिंह, निवासी-ग्राम सोरना लोअर, तहसील-विकास नगर जनपद-देहरादून एवं अन्य निवासीगण द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करेंगे।

31. विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न, यदि कोई हों।

32. नियम 315 के खण्ड (13) व (14) के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

33. मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य, यदि कोई हों।

34. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मागेंगे।

35. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड अल्पसंख्यक आयोग (संशोधन) विधेयक 2014 को पुरःस्थापित करेंगे।

36. उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 2005 के नियम-315 के खण्ड (22) के अन्तर्गत मा0 अध्यक्ष द्वारा घोषणायें, यदि कोई हों।

(कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों के लिए देखिए नत्थी-**"घ"**)

37. कार्यस्थगन का प्रस्ताव, यदि कोई हो।

38. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश, सदस्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा एवं पारण :-

"यह सदन महामहिम राज्यपाल को उनके द्वारा दिनांक 13 जनवरी, 2014 को दिए गये अभिभाषण के लिए कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है"

(प्रस्ताव में संशोधनों के लिए देखिए नत्थी **"ङ"**)

39. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार किया जाय। (**15 मिनट**)

<u>प्रस्तावक का नाम</u>	<u>संशोधन का रूप</u>
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 10 श्री अरिवन्द पाण्डे 11 श्री चन्दन राम दास	"उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
13 श्री पुष्कर सिंह धामी
14 श्री मालचन्द
15 श्री भीमलाल आर्य
16 श्री महावीर सिंह
17 श्री आदेश चौहान
18 श्री संजय गुप्ता
19 श्री यतीश्वरानन्द
20 श्री दलीप सिंह रावत
21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22 श्री दान सिंह भण्डारी
23 श्री राजेश शुक्ला
24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

40. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 पारित किया जाय।

41. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 10 श्री अरविन्द पाण्डे 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13 श्री पुष्कर सिंह धामी 14 श्री मालचन्द 15 श्री भीमलाल आर्य 16 श्री महावीर सिंह 17 श्री आदेश चौहान 18 श्री संजय गुप्ता 19 श्री यतीश्वरानन्द 20 श्री दलीप सिंह रावत 21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल	"उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

22 श्री दान सिंह भण्डारी
23 श्री राजेश शुक्ला
24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

42. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

43. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 10 श्री अरविन्द पाण्डे 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13 श्री पुष्कर सिंह धामी 14 श्री मालचन्द 15 श्री भीमलाल आर्य 16 श्री महावीर सिंह 17 श्री आदेश चौहान 18 श्री संजय गुप्ता 19 श्री यतीश्वरानन्द 20 श्री दलीप सिंह रावत 21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 22 श्री दान सिंह भण्डारी 23 श्री राजेश शुक्ला 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।'' (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

44. कृषि मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

45. चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 10 श्री अरविन्द पाण्डे 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13 श्री पुष्कर सिंह धामी 14 श्री मालचन्द 15 श्री भीमलाल आर्य 16 श्री महावीर सिंह 17 श्री आदेश चौहान 18 श्री संजय गुप्ता 19 श्री यतीश्वरानन्द 20 श्री दलीप सिंह रावत 21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 22 श्री दान सिंह भण्डारी 23 श्री राजेश शुक्ला 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	"उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

46. चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

47. चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल	"हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

10 श्री अरविन्द पाण्डे
11 श्री चन्दन राम दास
12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना
13 श्री पुष्कर सिंह धामी
14 श्री मालचन्द
15 श्री भीमलाल आर्य
16 श्री महावीर सिंह
17 श्री आदेश चौहान
18 श्री संजय गुप्ता
19 श्री यतीश्वरानन्द
20 श्री दलीप सिंह रावत
21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22 श्री दान सिंह भण्डारी
23 श्री राजेश शुक्ला
24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

48. चिकित्सा शिक्षा मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

49. राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। **(15 मिनट)**

प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 10 श्री अरविन्द पाण्डे 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13 श्री पुष्कर सिंह धामी 14 श्री मालचन्द 15 श्री भीमलाल आर्य 16 श्री महावीर सिंह 17 श्री आदेश चौहान 18 श्री संजय गुप्ता 19 श्री यतीश्वरानन्द	" उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

20 श्री दलीप सिंह रावत
21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल
22 श्री दान सिंह भण्डारी
23 श्री राजेश शुक्ला
24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

50. राजस्व मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

51. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 पर विचार किया जाय। (1 **घण्टा**)

प्रस्तावक का नाम	**संशोधन का रूप**
1. श्री अजय भट्ट 2 श्री हरबंस कपूर 3 श्री तीरथ सिंह रावत 4 श्री मदन कौशिक 5 श्री बंशीधर भगत 6 श्रीमती विजय बड़थ्वाल 7 श्री हरभजन सिंह चीमा 8 श्री अजय टम्टा 9 श्री प्रेमचन्द अग्रवाल 10 श्री अरिवन्द पाण्डे 11 श्री चन्दन राम दास 12 श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13 श्री पुष्कर सिंह धामी 14 श्री मालचन्द 15 श्री भीमलाल आर्य 16 श्री महावीर सिंह 17 श्री आदेश चौहान 18 श्री संजय गुप्ता 19 श्री यतीश्वरानन्द 20 श्री दलीप सिंह रावती 21 श्री पूरन सिंह फर्त्याल 22 श्री दान सिंह भण्डारी 23 श्री राजेश शुक्ला 24 श्री सहदेव सिंह पुण्डीर	"उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन एक माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।" (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

52. मुख्यमंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 पारित किया जाय।

53. संसदीय कार्य मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

"मैं प्रस्ताव करती हूं कि श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर अधिनियम, 1939 की धारा 5 (1) (ख) के अधीन, श्री बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति में 03 मा0 विधान सभा सदस्यों को नामित किये जाने हेतु यह सदन माननीय अध्यक्ष, विधान सभा को प्राधिकृत करता हैं। इस प्रकार नामित सदस्य विधान सभा द्वारा विधिवत निर्वाचित समझे जायेंगे।"

54. नियम 53 के अन्तर्गत सूचनाएं, यदि कोई हों।

55. प्रदेश में बंदरों के आतंक से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में हो रहे जान-माल के नुकसान के संबंध में श्री चन्दन राम दास, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, वन मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत वक्तव्य।

56. मा0 मुख्यमंत्री द्वारा रूड़की शहर में यातायात नियंत्रण हेतु स्पीड ब्रेकर एवं ट्रैफिक कन्ट्रोल लाइट्स लगाये जाने की घोषणा के बाद भी इस संबंध में कोई कार्यवाही न होने के संबंध में श्री प्रदीप बत्रा, सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2014 को दी गई सूचना पर, शहरी विकास मंत्री का नियम-53 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य।

आज्ञा से,

देहरादून :
दिनांक : 20 जनवरी, 2014

20/01/14.
(जगदीश चन्द्र)
सचिव।

प्रथम सत्र, 2014
का प्रथम मंगलवार

उत्तराखण्ड विधान सभा

उत्तराखण्ड विधान सभा

की कार्यसूची

मंगलवार, 01 माघ, शक संवत्, 1935

(दिनांक : 21 जनवरी, 2014)

नत्थी ''क''

अल्पसूचित प्रश्न

श्री भीम लाल आर्य 30.12.2013	**क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य सरकार ने छठे वेतन आयोग की संस्तुतियों को अक्षरांशः स्वीकार कर राज्य में लागू किया है ? यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती का आउट सोर्सिंग, संविदा आदि के माध्यम से कर समेकित निधि से भुगतान कर रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार पर्वतीय क्षेत्रों के बेरोजगारों की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए न्यूनतम वेतन कार्मिक के रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियमित रूप से पुनः प्रारम्भ कर इस आउट सोर्सिंग की व्यवस्था को तत्काल समाप्त करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वित्त**
श्री पुष्कर सिंह धामी 31.12.2013	**क्या गन्ना मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारित राज्य परामर्शी गन्ना मूल्य का पूर्ण लाभ प्रदेश के गन्ना काश्तकारों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो गन्ने की अग्रेती प्रजाति एवं सामान्य प्रजाति हेतु निर्धारित मूल्य में से रू0 35 एवं रू0 25 की कटौती के उपरान्त गन्ना काश्तकारों को भुगतान किये जाने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं, तो निर्धारित मूल्य का पूर्ण लाभ दिये जाने या राज्य परामर्शी मूल्य को बढ़ाये जाने पर सरकार विचार करेगी ?	**गन्ना**

नत्थी ''ख''

उत्तराखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 2005 के नियम 40 (2) के अन्तर्गत प्रथम सत्र 2014 के प्रथम मंगलवार हेतु निर्धारित स्थगित तारांकित प्रश्न

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 13.09.2013	*1 क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि केन्द्रीय योजना आयोग द्वारा कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण 13 वें वित्त आयोग की संस्तुतियों में राज्य को 1000 करोड़ रूपये प्रदान करने की स्वीकृति दी थी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या वर्तमान समय में राज्य की वित्तीय स्थिति चिन्ताजनक हैं और सकल घरेलू उत्पाद की दर लगातार नीचें गिर रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसके सुधार हेतु कोई प्रयास कर रही हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?	

नत्थी ''ग''

तारांकित प्रश्न

श्री नवप्रभात 19.12.2013	*1.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सचल अस्पताल की कोई योजना शुरू की गयी थी ? यदि हां, तो इस योजना का विवरण क्या है ? क्या इन अस्पतालों के संचालन के लिए निजी क्षेत्र की कृषि संस्था से कोई अनुबन्ध किया गया था ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा अभी तक वर्षवार इस योजना पर सरकार द्वारा कितना धन व्यय किया गया ?	**स्वास्थ्य**
श्री पुष्कर सिंह धामी 24.12.2013	*2.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय मेडिकल कालेज हल्द्वानी से वर्ष 2005 में बी0पी0टी0, बी0ओ0टी0 एवं बी0आर0डी0 और आई0टी0 में स्नातक करने वाले अभ्यर्थियों में से मेरिट में आये 50 प्रतिशत अभ्यर्थियों को कोर्स पूर्ण होने पर उत्तराखण्ड के राजकीय चिकित्सालयों में सेवा किये जाने हेतु बॉन्ड भरवाये गये थे ? यदि हां, तो बॉन्ड भरवाये गये स्नातक अभ्यर्थियों से कोर्स पूर्ण होने के बाद राजकीय चिकित्सालयों में योगदान न लिये जाने तथा रोजगार न दिये जाने के क्या कारण हैं ? यदि नहीं तो बी0पी0टी0, बी0ओ0टी0 एवं बी0आर0डी0 और आई0टी0 के स्नातकों हेतु विभागीय सेवा नियमावली में प्राविधान करने तथा पद सृजित कर अभ्यर्थियों को राजकीय चिकित्सालयों में रोजगार दिये जाने पर सरकार विचार करेगी ?	**स्वास्थ्य**
श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 26.12.2013	*3	क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में सरकार द्वारा गरीब परिवार की अनुसूचित जाति बालिकाओं एवं विधवा महिलाओं की कन्या के विवाह हेतु कितनी आर्थिक सहायता दी जाती है ? क्या सरकार द्वारा इस वित्तीय वर्ष में इसमें बढोत्तरी की गई है ? क्या सरकार सभी पात्र लोगों को यह धनराशि उपलब्ध कराती है ? यदि हां, तो प्रदेश में वर्ष 2012 से अब तक कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए और कितनों को धनराशि उपलब्ध कराई गई तथा जिलेवार विवरण क्या है ? क्या शेष रह गए सभी पात्रों को भी सरकार सहायता देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**समाज कल्याण**

श्री सुरेन्द्र सिंह जीना 26.12.2013	*4. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में जिन स्थानों पर चिकित्सकों की अत्यन्त कमी हैं उन स्थानों पर महिलाओं के प्रसव के समय ''आशा कार्यकत्रियों'' के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा की जाती है, और सरकार द्वारा मानदेय के रूप में जो उनको प्रोत्साहन राशि दी जाती थी उसे बढ़ाने के स्थान पर कम कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार ''आशा कार्यकत्रियों'' के मानदेय राशि को बढ़ाने के साथ–साथ प्रतिमाह मानदेय देने पर भी विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री आदेश चौहान 27.12.2013	*5. क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि राज्य के गन्ना किसानों को उनके द्वारा गत पेराई सत्र में गन्ना मिलों को दिये गन्ने का भुगतान वर्तमान तक नहीं हो पाया है तथा गन्ना किसान आन्दोलित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार भुगतान न करने वाले गन्ना मिलों के विरूद्ध कोई कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**गन्ना**
श्री आदेश चौहान 27.12.2013	*6. क्या वित्त मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में वाणिज्य जांच चौकियों की समाप्ति के उपरान्त चौकियों पर तैनात 184 कर्मचारी/अधिकारियों में से मात्र 50 कर्मचारी/अधिकारी ही सचल दल इकाईयों में समायोजित किये गये हैं व शेष 134 कर्मचारी/अधिकारियों को समायोजित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनके समायोजन की कोई नीति बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**वित्त**
श्री भीमलाल आर्य 31.12.2013	*7. **प्रथम बुधवार के तारा0 07 में स्थाना0** क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रत्येक जनपदवार राज्य सरकार ने राज्य स्थापना के पश्चात् प्रतिवर्ष अब तक राज्य सरकार द्वारा कितना परिव्यय निर्धारित किया गया एवं इस परिव्यय के सापेक्ष आय–व्यय एवं व्यय की प्रत्येक जनपदवार जिला योजना, राज्य योजना एवं केन्द्रीय योजना के अधीन अयोजनागत व आयोगोत्तर पक्षों में प्राविधान एवं व्यय का प्रतिशत जनपदवार कितना है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि राज्य सरकार प्रत्येक जनपद को विगत वर्षों से कम किये गये आवंटन के सापेक्ष आनुपातिक रूप से आय–व्यय की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	वित्त

अतारांकित प्रश्न

श्री मयूख महर 19.12.2013	1.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के जिला अस्पताल व महिला अस्पताल में 50–50 बैड बढाये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री मयूख महर 19.12.2013	2.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ बेस हास्पिटल को शहर के समीप सुगम स्थान पर बसने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ? यदि हां, तो कहां पर व उक्त स्थान पर कब से कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूर्ववर्ती स्थानों पर ही बेस अस्पताल का निर्माण करेगी ? यदि हां, तो उसका अपूर्ण कार्य कब से प्रारम्भ किया जायेगा ?	**स्वास्थ्य**
श्री आदेश चौहान 19.12.2013	3.	क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि हरिद्वार जनपद के विकास खण्ड मुख्यालय बहादराबाद की ग्राम पंचायत न आयुर्वेदिक चिकित्सालय भवन निर्माण हेतू भूमि विभाग को दी है किन्तु उपरोक्त भूमि पर अभी तक भवन का निर्माण नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बहादराबाद में उक्त भूमि पर चिकित्सालय हेतू भवन का निर्माण किये जाने की योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री आदेश चौहान 20.12.2013	4.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेस चिकित्सालय की स्वीकृति हुयी है ? यदि हां, तो क्या चिकित्सालय भवन के निर्माण की भी स्वीकृति की गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य हेतू कितनी धनराशि स्वीकृत तथा अवमुक्त की गयी है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि चिकित्सालय भवन के निर्माण कार्य पूर्ण करने की समय सीमा क्या है ? क्या सरकार निर्धारित समय में निर्माण कार्य पूर्ण करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री मयूख महर 24.12.2013	5.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में ट्रामा सेन्टर भूमि उपलब्ध होने के उपरान्त भी उसमें निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ क्यों नहीं यिका गया है ? क्या सरकार न इस वित्तीय वर्ष में उक्त कार्य हेतु धन का प्राविधान	**स्वास्थ्य**

किया है ? यदि हां, तो कितना व कब तक कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महावीर सिंह रांगड़ 24.12.2013	6. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल को भी जनपद उत्तरकाशी की भांति ओ0बी0सी0 समुदाय में शामिल करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**समाज कल्याण**
श्री नवप्रभात 26.12.2013	7. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरर्बटपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी0एच0सी0) भवन के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है ? यदि हां, तो भवन निर्माण में अभी तक क्या प्रगति हुई है ? क्या विभाग इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को संयुक्त चिकित्सालय में उच्चीकृत करते हुए भवन निर्माण पर विचार कर रहा है ?	**स्वास्थ्य**
श्री भीमलाल आर्य 27.12.2013	8. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि मेहनत कश आशा कार्यकत्रियों की उल्लेखनीय सेवाओं को दृष्टिगत रखते हुए सरकार उचित वेतन/सुविधा देने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री नवप्रभात 28.12.2013	9. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद देहरादून के हरर्बटपुर क्रिशचियन अस्पताल में ब्लड बैंक की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो इस विषय में अभी तक क्या प्रगति हुई है ?	**स्वास्थ्य**
श्री नवप्रभात 28.12.2013	10. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा सरकारी चिकित्सालयों को पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप के अन्तर्गत संचालित करने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो कौन कौन से चिकित्सालय पी0पी0पी0 के अन्तर्गत संचालित किये जा रहे हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि पी0पी0पी0 पार्टनर के चयन के लिये क्या मानक तथा प्रक्रिया निर्धारित की गयी है ?	**स्वास्थ्य**
श्री नवप्रभात 28.12.2013	11. क्या समाज कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2012–2013 में अवस्थापना मद स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत स्वीकृत योजनाओं का जनपद	**समाज कल्याण**

		वार विवरण क्या है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्वीकृत योजनाओं के सापेक्ष कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ?	
श्री नवप्रभात 28.12.2013	12.	क्या वित्त मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में छठे वेतन आयोग द्वारा घोषित वेतनमान किस तिथि से लागू हुए ? क्या चतुर्थ वर्गीय राज्य कर्मचारियों को भी इसी तिथि से वेतनमान का लाभ दिया गया है ? यदि नहीं, तो इन्हे किस तिथि से वेतनमान का लाभ दिया गया ? यदि तिथि में अन्तर है तो इसका क्या कारण है ?	**वित्त**
श्री महावीर सिंह रांगड़ 30.12.2013	13.	क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर के सामुदायिक केन्द्र थत्यूड़ में चीफ फार्मास्स्टि का पद मानक के अनुसार स्वीकृत है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड़ में चीफ फार्मासिस्ट का पद स्वीकृत करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
कुंवर प्रणव सिंह ''चैम्पियन'' 31.12.2013	14.	क्या गन्ना मंत्री अवगत हैं कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों की फसल के लिए गन्ने का ''तीसरा मूल्य'' जो कि अस्वीकृत प्रजाति हेतु होता है निश्चित किया गया है ? यदि हां, तो क्या पूर्व घोषित ''सामान्य प्रजाति'' मूल्य तथा ''अग्रेति प्रजाति मूल्य'' जो कि राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश द्वारा घोषित मूल्य से रू0 5 अधिक बढ़ा कर तय किया है के समानुपातिक अनुपात में अस्वीकृत किस्म का मूल्य भी उत्तर प्रदेश के घोषित मूल्य से रू0 5 बढ़ाकर तय किया गया हे ?	**गन्ना**
श्री महावीर सिंह रांगड़ 31.12.2013	15.	क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनोल्टी के अन्तर्गत विकास खण्ड जौनपुर के सेन्दूल और भाल की माण्डे में मानक पूरे होने के पश्चात भी ए0एन0एम0 सेन्टर नहीं खुला है ? यदि हां, तो क्या सरकार ए0एन0एम0 सेन्टर खोलने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**

श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	16. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विकास खण्ड कपकोट के स्थान पोथिंग में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन निर्माण हेतु कब कितनी धनराशि किस शासनादेशनुसार स्वीकृत की गयी है और भवन निर्माण कार्य कब प्रारम्भ किया गया है ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि अनुबन्ध के अनुसार भवन निर्माण कार्य कब तक पूर्ण किया जाना निर्धारित है तथा क्या निर्धारित अवधि के अन्दर भवन निर्माण कार्य पूर्ण किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	17. क्या स्वास्थ्य मंत्री अवगत हैं कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के एलोपैथिक–होम्योपैथिक–आर्युवैदिक अस्पतालों में डाक्टर नियुक्त नहीं है ? यदि हां, तो सरकार कब तक सभी प्राथमिक केन्द्रों पर डाक्टरों की नियुक्ति सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री ललित फर्स्वाण 30.12.2013	18. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर के विधान सभा क्षेत्र कपकोट के अन्तर्गत कपकोट के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में अनुभवी चिकित्सकों एवं फार्मासिस्टों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**
श्री ललित फर्स्वाण 31.12.2013	19. क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद बागेश्वर में कुल कितने एलोपैथिक, होम्यापैथिक एवं आयुर्वेदिक चिकित्सालय है तथा इन चिकित्सालयों में कितने चिकित्सक के पद रिक्त हैं ? क्या सरकार इन समस्त चिकित्सालयों के रिक्त पदों पर नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?	**स्वास्थ्य**

नत्थी ''घ''

कार्यमंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 20 जनवरी, 2014 की बैठक में दिनांक 21 जनवरी, 2014 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की हैः-

जनवरी 2014

21 मंगलवार **1. सामान्य कार्य**

2. विधायी कार्य :-

1. उत्तराखण्ड सड़क पार्श्व भूमि नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2014 पर विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

2. उत्तराखण्ड लोकायुक्त विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

(1 घण्टा)

3. उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

4. उत्तराखण्ड कृषि एवं प्रोद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

5. उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

6. हेमवती नन्दन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

7. उत्तराखण्ड जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) विधेयक, 2014 पर विचार एवं पारण।

(15 मिनट)

उत्तराखण्ड विधान सभा

नत्थी "ङ"

श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन।

क्र.सं.	प्रस्तावक का नाम	संशोधन का रूप
1.	श्री अजय भट्ट	प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त किये जाने,
2- प्रदेश में आपदा प्रभावितों के पुर्नवास हेतु कोई ठोस नीति बनाये जाने,
3- युद्धवीर हत्याकाण्ड के रैकेट का खुलासा किये जाने,
4- बी0एड0 एवं टी0ई0टी0 उत्तीर्ण प्रशिक्षितों को रोजगार प्रदान किये जाने,
5- मा0 विधायक श्री राजकुमार ठुकराल के विरूद्ध दर्ज फर्जी मुकदमे को वापस लिये जाने,
6- प्रदेश के युवाओं की सरकारी नौकरी की न्यूनतम आयु 40 वर्ष किये जाने,
7- बी0पी0एड0, डी0पी0एड0 एवं सी0पी0एड0 प्रशिक्षितों को रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
8- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बैकलाग पदों को भरे जाने,
9- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत को जिला बनाये जाने,
10- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत छावनी परिषद के सिविल एरिया को नगरपालिका बनाये जाने,
11- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से ऐरोड़ तक मोटर मार्ग बनाये जाने,
12- जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत रानीखेत से चौबटिया तक रज्जू मार्ग बनाये जाने,
13- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ताड़ीखेत-ठ्कुलाड़ी-बैना-मटेला-मनीला सड़क निर्माण किये जाने,

14- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत ज्याड़ी-पोखरी-बोहरागांव सड़क मार्ग निर्माण किये जाने,
15- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैंण डिग्री कालेज के भवन का निर्माण किये जाने,
16- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत जालली-मासी-मझखाली एवं मछोड़ विकास खण्डों का निर्माण किये जाने,
17- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत भिकियासैंण में एक महिला पालिटैक्निक खोले जाने,
18- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सुतनिया से बेल-नैकणा-बमनचौरा एवं झड़गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
19- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सालय भिकियासैंण का उच्चीकरण किये जाने,
20- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत गनियाद्योली-सिगोली-अम्याड़ी मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
21- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के अन्तर्गत विनायक-रिखाड़ मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
22- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत अन्तर्गत रानीखेत-रामनगर मोटर मार्ग के कोट्धार से कफुल्टी होते हुए तिमिला तक लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,
23- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत अन्तर्गत रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग के पन्याली-सरोली होते हुए चमोली तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
24- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत अन्तर्गत रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग के टूनाकोट चौकी के टंकी से टूनाकोट गांव तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
25- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत अन्तर्गत खग्यार डौनी होते हुए तिपौला तक लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,
26- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड ताड़ीखेत अन्तर्गत रानीखेत-हल्द्वानी मोटर मार्ग के बनियाडिग्गी से ब्रहमपुरी तोक तक लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,

27- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैंण अन्तर्गत बासोट-बिनोली सड़क के कैनला नामक स्थान से कुम्हार्ती तक लिंक मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,

28- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैंण अन्तर्गत रानीखेत रामनगर रोड़ के खीला नामक स्थान से लौकोट तक लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,

29- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैंण अन्तर्गत घट्टी-बासोट-भिक्यासैण सड़क के जोगीनौला से कोटा एवं कोट्ली होते हुए लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,

30- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैंण अन्तर्गत ग्राम सभा सूणी में भतरौजखान-भिक्यासैण के गुरणीखेत नामक स्थान से सूणी कोट होते हुए जीनापानी तक लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,

31- जनपद अल्मोड़ा स्थित विधान सभा क्षेत्र रानीखेत के विकास खण्ड भिकियासैंण अन्तर्गत भिक्यासैंण-भतरौजखान मोटर मार्ग से रुदबौं गांव तक लिंक मार्ग का निर्माण किये जाने,

32- जनपद अल्मोड़ा के भतरौजखान-भिक्यासैण मोटर मार्ग के टानी नामक स्थान से जू0हा0 हरनोली तक लिंक मार्ग निर्माण किये जाने,

33- जनपद अल्मोड़ा के वि0खं0 ताड़ीखेत में देवलीखेत नामक स्थान पर एक पाँलीटेक्निक की स्थापना किये जाने,

34- जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत से चौबटिया तक रज्जूमार्ग का निर्माण किये जाने,

35- कोसी नदी से जनपद अल्मोड़ा के रानीखेत स्थित छावनी परिषद के आस-पास के गांवों के लिए भुजान-रानीखेत पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,

36- जनपद अल्मोड़ा के रा0उ0मा0वि0 चिलियानौला, चौकुनी, नौगांव, बेड़गांव का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण किये जाने।''

2. श्री प्रेमचन्द अग्रवाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में आपदा से क्षतिग्रस्त मेरिन ड्राईव व त्रिवेणी घाट के हिस्से की मरम्मत किये जाने,

2- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में महिला महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
3- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में बापूग्राम एवं विस्थापित पशुलोक व असेना-डोभरा की राजस्व ग्राम की घोषणा किये जाने,
4- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश के गंगा तट पर त्रिवेणी घाट पर गंगा जल धारा आने का,
5- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में गंगा नदी में सीवरेज की रोकथाम किये जाने,
6- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में सत्यनारायण से गोहरी माफी की ओर सड़क निर्माण किये जाने,
7- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में संजय-झील का सौन्दर्यकरण किये जाने,
8- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में ग्रामीण क्षेत्रों को सीवरेज से जोड़ने,
9- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश को संस्कृत नगरी के रूप में मान्यता को लागू करने,
10- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र ऋषिकेश में राजकीय चिकित्सालय में डाक्टर एवं विशेषज्ञों की नियुक्ति व एक्स-रे मशीन एवं अल्ट्रासाउंड मशीनों को बदलने,
11- प्रदेश में हाथियों के आतंक से मुक्ति हेतु प्रभावित आबादी क्षेत्रों में इलैक्ट्रिक फैंसिंग एवं खाई खुदान किये जाने।''

3. श्री दान सिंह भण्डारी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में पालीटैक्निक कालेज खोलने,
2- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत महत्वपूर्ण सड़क-स्यूड़ा-हरीश ताल सड़क का निर्माण किए जाने,
3- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल में सिमल्या-सालनी सड़क निर्माण किये जाने,
4- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल कस्यालेख-सूपी मार्ग डामरीकरण किये जाने,
5- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत कालापाँतल-ल्वेशाल मोटर मार्ग डामरीकरण किये जाने,
6- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत उच्चीकृत विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने,

7- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत औखलकाँडा में डिग्री कालेज की स्थापना करने,
8- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत रामगढ़ एवं भीमताल को सब-तहसील बनाने,
9- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत फल-पट्टी होने के नाते किसानों को आपदा राहत उपलब्ध कराने तथा कृषि ऋण माफ करने,
10- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत धानाचूली लिफ्ट योजना की वित्तीय स्वीकृति देने,
11- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत भीमताल, नौकुचियाताल, हरीश ताल झीलों का सौन्दर्यकरण करने,
12- प्रदेश के किसानों को फलों एवं सब्जियों में उचित बीमा राशि उपलब्ध कराने,
13- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत भीमताल-नाकुचियाताल, हरीश ताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़ के पर्यटन को मुख्यपटल पर रखने,
14- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत मानकों में आने के उपरान्त विद्यालयों को उच्चीकृत नही होने पर शीघ्र उच्चीकृत कराने,
15- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत निजी व्यक्तियों को दिये गये उद्यानों को शीघ्र उद्यान विभाग को लौटाने हेतु कार्यवाही करने,
16- जनपद नैनीताल के विधान सभा क्षेत्र भीमताल के अन्तर्गत आयुर्वेदिक, एलोपैथिक अस्पतालों में चिकित्सकों की नियुक्ति तथा चिकित्सा उपकरणों की समुचित व्यवस्था करने।''

4. श्री सुरेन्द्र सिंह जीना

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत स्याल्दे और मानिला महाविद्यालय को पूर्ण पी0जी0 की मान्यता देने तथा विज्ञान विषयों के पठन-पाठन हेतु विज्ञान प्रयोगशालाओं का निर्माण व प्रवक्ताओं की नियुक्ति करने,
2- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मानिला जो उत्तराखण्ड के पर्यटन स्थलों में शामिल है वहां पर्यटक केन्द्रों के निर्माण के साथ पर्यटन सुविधाओं का विकास करने,

3- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मटेला, अजोली, खण्डुवा व भिक्यासैंण में मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वीकृत मोटर पुलों के निर्माण का कार्य किये जाने,
4- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत मछोड़ पर तहसील का निर्माण किये जाने,
5- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत तल्ला सल्ट, सराईखेत व मौलेखाल में महाविद्यालयों की स्वीकृति व निर्माण कार्य किये जाने,
6- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत सल्ट पॉलीटेक्निक में वर्षो से स्वीकृत 3 विषयों के शीघ्र संचालन व इसी सत्र से पठन-पाठन की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा घोषित देघाट में नये पालीटेक्निक की स्थापना/स्वीकृति प्रदान करने,
7- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत तल्ला सल्ट, मल्ला सल्ट में खेल स्टेडियम का निर्माण व स्वीकृत स्याल्दे में स्टेडियम का शीघ्र निर्माण करने,
8- जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्रों का सुचारू रूप से संचालन करने, चिकित्सकों की व्यवस्था तथा सम्पूर्ण व्यवस्था किये जाने,
9- जनपद अल्मोड़ा में सल्ट विधान सभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर चाय बोर्ड (टी बोर्ड) द्वारा चाय बागानों का निर्माण करने,
10- सगन्ध पौध विभाग द्वारा जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा के उचित स्थानों पर पौधशाला का निर्माण व जनता को प्रशिक्षण के साथ सम्पूर्ण सल्ट विधान सभा में खेती हेतु प्रोत्साहित करने,
11- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में उद्यान विभाग द्वारा मानिला, जौरासी, सराइखेत, सल्ट, स्याल्दे व देघाट में फल पट्टी का निर्माण करने,
12- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में किसानों की सुविधा हेतु मिनी मण्डी का निर्माण किये जाने,
13- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वर्षो से लम्बित स्वीकृत मोटर मार्गों का शीघ्र निर्माण करने व प्रत्येक गांव को सड़क मार्ग से जोडने,
14- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में स्वीकृत मोटर पुलों का शीघ्र निर्माण किये जाने,
15- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट में वर्षो से लम्बित पड़े निर्माणाधीन स्वास्थ्य केन्द्रों का विभाग को हस्तान्तरण कर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किये जाने,

16- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत विद्यालयों व इण्टर कालेजों में छात्रों के पठन-पाठन हेतु उचित व मानकानुसार भवनों का निर्माण किये जाने,

17- जनपद अल्मोड़ा की सल्ट विधान सभा क्षेत्र की वर्षों से लम्बित पड़ी पेयजल योजनाओं का शीघ्र निर्माण किये जाने,

18- जनपद अल्मोड़ा की सल्ट विधान सभा क्षेत्र में विद्युत विभाग में मानकानुसार अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति करने व क्षतिग्रस्त पोलों व ट्रान्सफारमरों को शीघ्र बदलने,

19- जनपद अल्मोड़ा के सल्ट विधान सभा क्षेत्र में स्थापित आई0टी0आई0 में नये विषयों की स्वीकृति तथा नये भवनों में हस्तान्तरण कर, कक्षाऐं सुचारू रूप से चलाये जाने,

20- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र सल्ट के अन्तर्गत विनोद नदी पर छोटे-छोटे बांध बना कर सिंचाई व्यवस्था में सुधार करने व मत्स्य पालन हेतु टैंकों का निर्माण किये जाने।''

5. श्री अरविन्द पाण्डे

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- राज्य में दैवीय आपदा से निपटने की ठोस नीति नही बनाये जाने,

2- राज्य में गन्ना किसानों के भुगतान की व्यवस्था किये जाने,

3- राज्य में कानून व्यवस्था से निपटने की कोई नीति बनाए जाने,

4- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में आपदा से प्रभावित किसानों को राहत दिलाये जाने,

5- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में जे0एन0यू0आ0एम0 में प्रस्तावित पानी की निकासी योजना सुनिश्चित किये जाने,

6- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने,

7- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोलें जाने,

8- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में पर्यटन की योजनायें बनाये जाने,

9- राज्य में अवैध खनन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने

10- राज्य में स्थानान्तरण नीति बनाये जाने,

11- उत्तराखण्ड राज्य में साहसिक खेलों को बढाने हेतु कोई योजना बनाये जाने,

12- प्रदेश में स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिए जाने,

13- प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने,

14- प्रदेश में किसानों के ऋण माफ किये जाने,
15- प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली दिये जाने,
16- प्रदेश में घरेलू व्यवसायिक बिजली के बिलों को माफ किये जाने,
17- प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
18- प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग हेतु विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने,
19- प्रदेश में बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 को मुफ्त मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने,
20- प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने,
21- प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढावा दिये जाने,
22- प्रदेश में संस्कृत विद्यालय खोले जाने,
23- प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की विशेष योजना बनाये जाने,
24- प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेल व बिजली का फ्री कनेक्शन दिये जाने,
25- जनपद ऊधमसिंह नगर में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना किये जाने,
26- जनपद ऊधमसिंह नगर में मेडिकल कालेज की स्थापना किए जाने,
27- जनपद ऊधमसिंह नगर को कमिश्नरी बनाये जाने,
28- जनपद ऊधमसिंह नगर में बस्ती के पानी की निकासी योजना बनाये जाने,
29- जनपद ऊधमसिंह नगर के नगर निगम को विशेष पैकेज दिये जाने,
30- जनपद ऊधमसिंह नगर के गदरपुर विधान सभा क्षेत्र में मुख्य शहर में एन0एच0 74 पर बाई पास बनाये जाने,
31- उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाले नमोशूद्र बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिये जाने,
32- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र गदरपुर में बसने वाले बुक्सा जाति व सैनी समाज व पूर्वांचल पर्वतीय काम्बोज व अनुसूचित जाति के लोगों के बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान किये जाने,
33- जनपद ऊधमसिंह नगर के जलाशयों के आस पास लगभग 50 वर्षों से निवास करने वाले वाशिन्दों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने।''

6. श्री दलीप सिंह रावत

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ीखाल में पॉलीटेक्निक बनाये जाने,
2- वर्ष 2010 में बहे बंजा देवी एवं झर्त पुल का निर्माण करने,
3- जनपद पौड़ी गढ़वाल के रिखड़ी खाल के पुलों का निर्माण करने,
4- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत मिनी स्टेडियम नैनीडांड़ा का विस्तार करने,
5- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र लैन्सडाउन के अन्तर्गत पीपला चोर से दुधगोर्म पैनोल गांव मार्ग का विस्तारीकरण करने।''

7. श्री मदन कौशिक

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- राज्य की दैवीय आपदा से निपटने की ठोस नीति नहीं बनाये जाने,
2- राज्य में गन्ना किसानों के भुगतान की व्यवस्था किये जाने,
3- प्रदेश में कानून व्यवस्था से निपटने की कोई नीति निर्धारित किये जाने,
4- हरिद्वार जनपद में आपदा से प्रभावित किसानों को राहत दिलाये जाने,
5- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में बरसाती पानी की निकासी की योजना बनाये जाने,
6- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार के अन्तर्गत जे0एन0यू0आर0एम0 में प्रस्तावित पानी की निकासी योजना बनाये जाने,
7- जनपद हरिद्वार में राजकीय डिग्री कालेज खोले जाने,
8- जनपद हरिद्वार में राजकीय इंजीनियरिंग कालेज खोले जाने,
9- जनपद हरिद्वार में पर्यटन की योजनायें बनाऐ जाने,
10- राज्य में अवैध खनन को रोकने हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने,
11- राज्य में स्थानान्तरण नीति बनाये जाने,
12- प्रदेश में साहसिक खेलों को बढ़ाने हेतु योजना बनाये जाने,
13- प्रदेश में स्थानीय निकायों को अधिक अधिकार दिये जाने,
14- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार में मंशा देवी पर्वत पर हो रहे लगातार भूस्खलन की रोकथाम हेतु योजना बनाये जाने,
15- प्रदेश में बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने,
16- प्रदेश में किसानों के ऋण माफ किये जाने,
17- प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने,

18- प्रदेश में घरेलू व्यवसायिक बिजली के बिलों को माफ किये जाने,
19- प्रदेश में पर्यटन के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराये जाने,
20- प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योगों हेतु विशेष पैकेज की घोषणा किये जाने,
21- प्रदेश में बी0पी0एल0/ए0पी0एल0 को मुफ्त मेडिकल सुविधाए उपलब्ध कराये जाने,
22- प्रदेश में सिंचाई व्यवस्था हेतु ठोस कार्य योजना बनाये जाने,
23- प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढावा दिये जाने,
24- प्रदेश में संस्कृत विद्यालय खोले जाने,
25- प्रदेश में संस्कृत शिक्षा की विशेष योजना बनाये जाने,
26- प्रदेश के किसानों को सिंचाई हेतु ट्यूबवेल व बिजली का फ्री कनेक्शन दिये जाने,
27- जनपद हरिद्वार में हाईकोर्ट बैंच की स्थापना किये जाने,
28- जनपद हरिद्वार में मेडिकल कालेज की स्थापना किये जाने,
29- जनपद हरिद्वार को कमिश्नरी बनाये जाने,
30- जनपद हरिद्वार में बस्ती के पानी की निकासी हेतु योजना बनाये जाने,
31- जनपद हरिद्वार शहर में उजाड़े दुकानदारों को पुनः स्थापित किये जाने,
32- जनपद हरिद्वार में नगर निगम को विशेष पैकेज दिये जाने।''

8. श्री सहदेव सिंह पुण्डीर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभा सेलाकुई में औद्योगिक क्षेत्र में पार्किंग की समुचित व्यवस्था किए जाने,
2- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभा खुशहालपुर की ओर जाने वाला रास्ता एन0एच0-72 से गांव की ओर पेन्टिंग कार्य जनहित में किये जाने,
3- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सभा टिमली के मजरा चिडीभेल्ली में विद्युत लाईनें खिचवाई जाने,
4- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम सेलांकुई में औद्योगिक क्षेत्र में सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने,
5- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के ग्राम पंचायत से0हो0टा0 को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने,

6- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम सहसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का उच्चीकरण किये जाने,
7- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत से0हो0टा0 में ट्रामा सेन्टर की स्थापना किये जाने,
8- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के विधान सभा क्षेत्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत लो वोल्टेज की समस्या से निजात जाने हेतु चाँदपुर होरावाला, तिलवाडी भाऊवाला, चौकी धौलास पौंधा कण्डोली आदि स्थलों पर विद्युत सब स्टेशनों की स्थापना किए जाने,
9- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत शंकरपुर, घूलकोट, कैंचीवाला आदि ग्रामों में कृषि भूमि की सिंचाई हेतु सिंचाई नलकूपों की स्थापना किए जाने,
10- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत कुछ क्षेत्रों में पेयजल की ज्वलन्त समस्या के निदान हेतु जनहित में पेयजल नलकूप की स्थापना किए जाने,
11- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत सहसपुर विधान सभा के क्षेत्र में जंगली जानवरों से विधान सभा क्षेत्र वासियों/किसानों की फसलों की सुरक्षा हेतु उपर्युक्त उपाय किये जाने,
12- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत बरसात में कृषि योग्य भूमि का कटाव रोके जाने व आवासीय क्षेत्रों में पानी की रोकथाम हेतु खालों व नदियों के दोनों ओर पुस्तें/तटबंध लगाने
13- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामवासियों व स्कूली बच्चों को आने-जाने हेतु आवागमन की सुविधा मुहैया कराने हेतु छोटी गाड़ियों (मैजिक) के परमिट जारी करवाने,
14- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों की वन विभाग की सीमा से होकर गुजरती सडकों व खालों पर काजबे/पुल बनवाने हेतु वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र दिलवाकर निर्माण कराये जाने,
15- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम जस्सोवाला हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने,
16- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत आरकेडिया के अन्तर्गत बनियावाला, सेवलीमार्ग का मरम्मत कार्य किए जाने,
17- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की पुरानी लाईनों के स्थान पर नई लाईनों को डलवाने,

18- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत से0हो0टा0, झाझरा, सुद्धोवाला, शंकरपुर आदि ग्रामों में पेयजल हेतु ओवर हैड टैंक का निर्माण कराये जाने,

19- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत प्रेमनगर से कौटद्वार, पौडी के लिये सीधे बस सेवा का संचालन कराये जाने,

20- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत भीषण बरसात से आयी आपदा से सैकड़ों बीघा कृषि भूमि व आवासीय भवनों की सुरक्षा हेतु तटबन्ध/पुस्तें निर्माण करवायें जाने,

21- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्रामसभा हरियावाला के बादशाही बाग सलियावाला में मार्ग निर्माण कराये जाने,

22- जनपद देहरादून के विधान सभा क्षेत्र सहसपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा कोटडा–कल्याणपुर के अन्तर्गत बिरसनी में हाईस्कूल का उच्चीकरण किये जाने।''

9. श्री पूरण सिंह फर्त्याल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के अन्तर्गत पेयजल संकट को देखते हुए लिफ्ट पेयजल योजनाऐं बनाए जाने,

2- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में पर्यटन की दृष्टि से झूमादूरी पर्यटन स्थल, बाणासुर किले में रोप–वे को सम्मिलित किय जाने,

3- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में पाटी महाविद्यालय की स्वीकृति प्रदान करने,

4- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्व0 श्री हर्षदेव ओली खेतीखान में कन्याखान की स्थापना किये जाने,

5- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में पनिया रीठा खाल रोड को पक्का किये जाने,

6- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में पुल हिण्डोला, लिफ्ट पेयजल योजना,

7- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के बाराकोट विकास खण्ड में गेस्ट हाउस की स्थापना किये जाने

8- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के किन्तोली से ढुंगरा बोरा तक 26 किमी0 सड़क मार्ग को डेड लाईन तक हाट मिक्स का प्रस्ताव किये जाने,

9- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट के लोहाघाट महाविद्यालय की चार दीवारी के लिए 02 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने,

10- जनपद चम्पावत के विधान सभा क्षेत्र लोहाघाट में राजकीय इण्टर कालेज, लोहाघाट के खेल मैदान अवशेष 50 लाख रूपये की स्वीकृति प्रदान करने।''

10. श्री भीमलाल आर्य

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनसाली में टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित घनसाली विधानसभा क्षेत्र को पिछड़ा क्षेत्र घोषित किये जाने,

2- प्रदेश में चारधाम यात्रा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण घनसाली विधान सभा क्षेत्र के मोटर मार्गों, पौराणिक सिद्धपीठों, मन्दिरों, चौराहों का सौन्दर्यकरण व सुलभ शौचालयों तथा विभिन्न घाटों/संगम स्थलों का निर्माण किये जाने,

3- विश्व प्रसिद्ध टिहरी बांध परियोजना भू-आवंटन की सी0बी0आई0 जाँच किये जाने,

4- विश्व प्रसिद्ध रॉकफिल टिहरी बांध के ऊपर आवागमन की सुविधा दिये जाने,

5- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनसाली में स्वतन्त्रा संग्राम सैनानी, पूर्व विधायक, सांसद स्व0 श्री त्रेपन सिंह नेगी जी की मूर्ति स्थापना, स्मृति द्वार, स्मारक निर्माण हेतु रूपये 20 लाख की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने,

6- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनसाली में घनसाली-टिहरी बाईपास मोटर मार्ग (1.5 कि0मी0) का नाली सहित सी0सी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

7- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनसाली में घनसाली मुख्य बाजार से हनुमान मन्दिर घनसाली तक मोटर मार्ग का नाली सहित सी0सी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

8- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र धनसाली में घनसाली-चमियाला मोटर मार्ग के श्रीकोट गदेरे पर भारी वाहन मोटर पुल व नाली सहित चमियाला गांव तक सी0सी0 निर्माण कार्य की स्वीकृति दिये जाने,

9- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में वित्तीय वर्ष 2012–13 व वित्तीय वर्ष 2013–14 में सर्व शिक्षा अभियान व राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के समस्त निर्माण कार्यों/कार्यक्रमों की उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच कराये जाने,
10- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली के अन्तर्गत "अन्नदायिनी जीवनदायिनी वासर नहर" की व वित्तीय वर्ष : 2012–13 तथा वित्तीय वर्ष : 2013–14 में किये गये समस्त सिंचाई नहरों के निर्माण व अनुरक्षण कार्यों की समुचित उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच व अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड–नई टिहरी का स्थानान्तरण किये जाने,
11- टिहरी बाँध परियोजना से प्रभावित व विकट भौगोलिक परिस्थितियों से घिरी जनपद–टिहरी गढ़वाल की सीमान्त व सबसे बड़ी तहसील घनसाली को जिला बनाये जाने,
12- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली के अन्तर्गत पेयजल योजनाओं (पेयजल निगम, जल संस्थान, स्वजल) की समुचित उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच किये जाने,
13- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली के अन्तर्गत भिलंगना हाइड्रो पॉवर प्रोजेक्ट–घुत्तू, फलेन्डा जल विद्युत परियोजना–घनसाली, तथा गुनसोला हाइड्रो पावर–चानी (वासर) से प्रभावित महान जनता के साथ किये गये अनुबन्धों, प्रोजेक्ट उपयोग हेतु भूमि की उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच किये जाने,
14- विधान सभा क्षेत्र–घनसाली के अन्तर्गत ए0डी0बी0 (एशियन डेवलपमेन्ट बैंक) व पी0एम0जी0एस0वाई0 (प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना) के अन्तर्गत निर्मित/निर्माणाधीन समस्त मोटर मार्गों की उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच किये जाने,
15- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में घोन्टी पुल (घनसाली) की उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच किये जाने,
16- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय–रगड़ी (आरगढ़) का इण्टरमीडिएट स्तर पर उच्चीकरण किये जाने,
17- प्रदेश में दैवीय आपदा/त्रासदी–2013 से क्षतिग्रस्त परिसम्पत्ति के पुनर्निर्माण हेतु अपर मुख्य सचिव को पूर्व प्रेषित प्रस्ताव के अनुसार वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने,
18- प्रदेश के विभिन्न जरूरत मंदों को माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने,
19- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में सैन्ट मैरी अस्पताल–घनसाली की भूमि स्वामित्व की उच्चस्तरीय स्थलीय जाँच किये जाने,

20- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में सरकारी शराब की दुकान–चमियाला व घनसाली को मुख्य बाजार से अन्यत्र शिफ्ट की किये जाने,

21- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में स्टोन कैशर–पिपोला (ढुंगमन्दार), हॉट मिक्स प्लान्ट–भैंसवाड़ा (घनसाली) तथा हॉट मिक्स प्लान्ट–सेन्दुल (केमर) को हटाये जाने,

22- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में बूढ़केदार नाथ को पांचवा धाम घोषित किये जाने,

23- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–घनसाली में पर्यटन व तीर्थाटन के विकास की दृष्टि से अतिमहत्वपूर्ण सीमान्त विधान सभा क्षेत्र–घनसाली को ''विश्व पर्यटन मानचित्र'' पर दर्शायें जाने,

24- जनपद टिहरी गढ़वाल के सहस्त्र ताल, महासर ताल, मज्याड़ ताल जराल ताल, भांसर ताल (हिन्दाव), कुशकल्याणी बुग्याल, क्यार्की बुग्याल, मट्या बुग्याल, बिजोला बुग्याल, पंवाली कांठा, खतलिंग ग्लेशियर, हटकुणी सौंड़ (बासर), केमुन्डा खाल (आरगढ़), जगदीशिला, निलछड़ (ग्यारहगांव), अंयारखाल (थाती कठुड़), कगरछाखाल (ढुंगमंदार), आदि महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों के समग्र विकास परियोजना की कार्ययोजना तैयार किये जाने,

25- प्रदेश के उत्तराखण्ड आन्दोलन के प्रणेता, उत्तराखण्ड के गांधी, पूर्व विधायक स्व0 श्री इन्द्रमणि बडोनी जी, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी, पूर्व विधायक, सांसद स्व0 श्री त्रेपन सिंह नेगी जी, टिहरी रियासत के स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी स्व0 श्री लक्षमु कठैत जी, प्रख्यात जन कवि स्व0 श्री जीवानन्द श्रीयाल जी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, विधिवेता स्व0 श्री पूरब सिंह जी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता, जिला पंचायत टिहरी गढ़वाल के प्रथम अध्यक्ष स्व0 श्री सत्ये सिंह राणा जी, प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता स्व0 श्री भरपुरू नगवाण जी, स्व0 श्री राधा कृष्ण जी, स्व0 श्री नरहरि दत्त पैन्यूली जी, स्व0 श्री गोबरू शाह जी, स्व0 श्री जुगदास जी एवं दन्तेवाड़ा नक्सली हमले में अमर शहीद विनोद पाल सिंह बिष्ट जी, स्वतन्त्रता संग्राम सैनानी स्व0 श्री लखन सिंह रावत जी, की चिरस्मृति में विधान सभा क्षेत्र–घनसाली के केन्द्र स्थल घनसाली–चमियाला व घनसाली–घुत्तू मोटर मार्ग के मध्य मोटर पुल समीप पहाड़ी पर ''विभूति संगम'' संयुक्त स्मारक निर्माण हेतु रू0 1 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने,

26- प्रदेश में महान स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों, समाजसेवियों, कवियों आदि की स्मृति में विभूति संगम 'स्मारक' की स्थापना किये जाने,

27- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत मेडिकल कॉलेज व इंजिनियरिंग कॉलेज की स्थापना किये जाने,

28- जनपद टिहरी गढ़वाल के सबसे बड़े विकास खण्ड-भिलंगना का पुनर्गठन कर नवीन ''बालगंगा' विकास खण्ड का सृजन किये जाने,

29- प्रदेश में जल, जंगल, जमीन, व उठान चुगान, कटान पर हक हकूक,

30- जनपद टिहरी गढ़वाल के तहसील-घनसाली में जनता को सस्ता एवं सुलभ न्याय हेतु ''सिविल जज'' जूनियर डिवीजन (मुन्सिफ कोर्ट) की स्थापना किये जाने,

31- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्न दायिनी, जीवन दायिनी बासर नहर का विस्तार किये जाने

32- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्रीय विद्यालय का सृजन किये जाने,

33- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली के स्यूरी, खभोगी, चुरैन्डा, खोला, नौली, पेयजल योजना का निर्माण किये जाने,

34- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र में बाल गंगा-गोनगढ़ पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण,

35- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के मध्य राजकीय इन्टर कालेज-घुमेटीधार को मॉडल इन्टर कालेज बनाये जाने,

36- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के समस्त मोटर मार्गों व लिंक मार्गों का चौड़ीकरण व डामरीकरण किये जाने,

37- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा क्षेत्र के विद्युतविहीन समस्त गांवों, बसावटों, तोकों व बस्तियों का विद्युतीकरण किये जाने,

38- जनपद टिहरी गढ़वाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पिलखी व सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र-बेलेश्वर का वृहद विस्तारीकरण व आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का सृजन किये जाने,

39- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधानसभा क्षेत्र का एक मात्र उच्च शिक्षा केन्द्र ''बाल गंगा महाविद्यालय'' को हाईटेक महाविद्यालय का दर्जा दिये जाने,

40- प्रदेश में बंजर भूमि पर औषधि कृषि की कार्य योजना व क्रियान्वयन किये जाने,

41- जनपद टिहरी गढ़वाल में स्वच्छ, साक्षर, हरित क्रान्ति हेतु घनसाली विधान सभा क्षेत्र में कार्ययोजना बनाकर क्रियान्वयन किये जाने,

42- जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी बांध परियोजना के तहत घोन्टी, पिपोली, पुल का शीघ्र निर्माण किये जाने,
43- जनपद टिहरी गढ़वाल के टिहरी बांध परियोजना से प्रभावित घनसाली विधानसभा क्षेत्र के प्रभावित गांवों का समुचित पुनर्वास किये जाने,
44- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली विधान सभा क्षेत्र के समस्त अशासकीय विद्यालयों को अनुदान सूची में सम्मिलित किये जाने,
45- ऋषिकेश-घनसाली रेलवे लाईन/मार्ग का निर्माण किये जाने,
46- जनपद टिहरी गढ़वाल में लाटा-राजगांव झूलापुल का निर्माण किये जाने,
47- प्रदेश में चारधाम यात्रा की दृष्टि से यात्रियों व जनता को जाम से निजात हेतु जनपद टिहरी गढ़वाल के चमियाला व घनसाली में टैक्सी पार्किंग की व्यवस्था किये जाने,
48- जनपद टिहरी गढ़वाल के घनसाली में बस अड्डे का निर्माण किये जाने,
49- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-घनसाली की क्षतिग्रस्त समस्त सिंचाई नहरों के पुनर्निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति दिये जाने,
50- प्रदेश में विभिन्न स्वीकृत योजनाओं का शिलान्यास कार्यक्रम किये जाने,
51- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र-घनसाली के चमियाला कस्बे को नगर पंचायत का दर्जा दिये जाने,
52- जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र घनसाली की सबसे बड़ी तहसील-घनसाली का पुनर्गठन कर ''नवीन बालगंगा'' तहसील का सृजन किये जाने,
53- श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय का परिसर विधान सभा क्षेत्र-घनसाली में स्थापित किये जाने,
54- उत्तराखण्ड राज्य के मेहनतकश आंगनबाड़ी सहायिका/कार्यकत्री, ग्राम प्रहरी, शिक्षा प्रेरक, भोजनमाता, आशा कार्यकत्री, होमगार्ड, पी0आर0डी0 जवानों एवं विभिन्न संविदा कर्मचारियों को उचित वेतनमान एवं उचित सुविधाएं प्रदान किये जाने,
55- उत्तराखण्ड राज्य के समस्त उद्योगों में सरकार द्वारा 70 प्रतिशत स्थानीय युवकों को रोजगार के आदेश का तत्काल अनुपालन किये जाने,
56- उत्तराखण्ड राज्य के विभिन्न शिक्षित/प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं को तत्काल रोजगार प्रदान किये जाने।''

11. श्री अजय टम्टा

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के मजखाली में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
2- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के दौलाघाट में आयुर्वेदिक महाविद्यालय की स्थापना किये जाने,
3- जनपद अल्मोड़ा के विधान सभा क्षेत्र-सोमेश्वर के बसौली में आई0टी0आई की स्थापना किये जाने,
4- जनपद अल्मोड़ा के रा0उ0मा0वि0 भूलखर्कवाल गाँव का उच्चीकरण किये जाने,
5- जनपद अल्मोड़ा के काकड़ीघाट में ऐलोपेथिक चिकित्सालय की स्थापना किये जाने,
6- जनपद अल्मोड़ा के खूट घामस-बसर-ज्योली अवशेष मोटर मार्ग निर्माण करने,
7- जनपद अल्मोड़ा के देवलीखान पेयजल पम्पिंग योजना का निर्माण किये जाने,
8- जनपद अल्मोड़ा के उ0मा0वि0 कठपुड़िया का उच्चीकरण किये जाने,
9- जनपद अल्मोड़ा के रा0 जू0 हा0 खान का उच्चीकरण किये जाने,
10- जनपद अल्मोड़ा के ताकुला में पावर सब स्टेशन का निर्माण किये जाने,
11- जनपद अल्मोड़ा के द्वारसों काकड़ीघाट मोटर-मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
12- जनपद अल्मोड़ा के शीतलाखेत-काकड़ीघाट मोटर मार्ग का डामरीकरण किये जाने,
13- जनपद अल्मोड़ा के चौबटिया कालनू मटीला मोटर मार्ग का निर्माण किये जाने,
14- जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर में उपजिलाधिकारी की स्थायी तैनाती किये जाने,
15- जनपद अल्मोड़ा के तहसील सोमेश्वर में उप कोषागार की स्थापना किये जाने,
16- जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर स्टेडियम का निर्माण किये जाने,
17- जनपद अल्मोड़ा के सी.एच.सी. चनौदा, सलौज में स्थायी भवन का निर्माण किये जाने,
18- जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर में आश्रम पद्धति विद्यालय की स्थापना किये जाने,
19- जनपद अल्मोड़ा के सोमेश्वर में गैस गोदाम का निर्माण किये जाने,

20- जनपद अल्मोड़ा के सी.एच.सी. सोमेश्वर का उच्चीकरण किये जाने।''

12. श्री हरबंस कपूर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :–

1- लोक निर्माण विभाग द्वारा गठित नए खण्ड़ो में मानकों के अनुरूप सभी संवर्गो की नियमित भर्ती हेतु आउट सोर्सिंग एजेन्सी की सेवायें बन्द कर विभागीय स्तर पर ही भर्ती करने,
2- जनपद देहरादून में जनरल महादेव सिंह रोड, देहरादून के दोनों ओर बसी लगभग 50 से अधिक कालोनियों की पानी की निकासी एवं वर्षा के कारण जल भराव की समस्याओं से निजात पाने हेतु योजना बनाये जाने,
3- जनपद देहरादून में चकराता रोड से सहारनपुर रोड तक बिंदाल नदी के दोनों तटों पर सी0सी0 की पक्की दीवार बनाने तथा दोनों तटों पर बसी एक लाख से अधिक आबादी को आने वाली बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किये जाने,
4- जनपद देहरादून में बिंदाल कालोनी, चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, गांधी ग्राम, संजय कालोनी, पटेल नगर, सन्तो वाली घाटी, न्यू पटेल नगर, कुली कैम्प, कौलागढ़ आदि मलिन बस्तियों में घरों के ऊपर से जाने वाली बिजली के तारों को भूमिगत करने,
5- जनपद देहरादून में देहरादून के लवली मार्केट, पंडितवाड़ी से लेकर चकराता रोड में गंदे जल से भराव की स्थिति से निजात दिलाने,
6- जनपद देहरादून के पंडितवाड़ी, देहरादून में भारतीय सैनिक एकेडमी द्वारा सुरक्षा दीवार बनाने के कारण प्रभावित जल निकासी को पुनर्गठित करने की योजना बनाने,
7- जनपद देहरादून के इंदिरा नगर वार्ड के शास्त्री नगर खाले के नाले को पुनर्गठित करने की योजना बनाने,
8- जनपद देहरादून में दून अस्पताल को मेडिकल कालेज के रूप में अस्तित्व में आने पर विकल्प के रूप में विकसित होने वाले चिकित्सालयों के सन्दर्भ में कोई योजना बनाने,
9- जनपद देहरादून में भारतीय सैन्य अकादमी की सुरक्षा एवं P.O.P. के दौरान होने वाली असुविधा के निदान हेतु वैकल्पिक मार्गो के विकास के लिए किसी योजना को बनाने,
10- जनपद देहरादून के कैन्टोन्मेंट क्षेत्र को देहरादून महानगर क्षेत्र की तरह सीवर सुविधा से आच्छादित करने,

11- जनपद देहरादून के टीचर्स कालोनी गोविन्द के पट्टेधारकों को नियमित करने के सम्बन्ध में शासनादेश होने के बावजूद नियमित न करने वाले अधिकारियों को दण्डित करने एवं पट्टेधारकों को राहत देने।''

13. श्री राजेश शुक्ला

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए:-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद ऊधमसिंह नगर के पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में स्थाई कुलपति की नियुक्ति करने,
2- मुख्यमंत्री जी की घोषणा के पश्चात् भी जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा में पालिटैक्निक कालेज की स्थापना, किच्छा चीनी मिल में डिस्टलरी यूनिट की स्थापना, किच्छा अस्पताल में सर्जन एवं अन्य चिकित्सकों की नियुक्ति तथा बस स्टेशन के भवन के निर्माण किये जाने,
3- किच्छा के नगर एवं देहात में 15 कि.मी. हाट मिक्स सड़कों के निर्माण करने,
4- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा से गुजरने वाले एन.एच.आई 74 की स्थिति अत्यन्त जीर्ण-शीर्ण होने,
5- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में नजूल भूमि पर बसे हुए गरीबों को निःशुल्क मालिकाना हक देने व जलाशयों में निष्प्रयोज्य भूमि पर बसे हुए गरीबों को राजस्व ग्राम का दर्जा देने,
6- जनपद ऊधमसिंह नगर के कन्या जूनियर हाई स्कूल रामनगर रूद्रपुर का उच्चीकरण करने,
7- जनपद ऊधमसिंह नगर के किच्छा में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
8- रूद्रपुर दंगे की C.B.I. जाँच कराई जाये एवं दंगे में बदले की भावना से फँसाये गये निर्दोष जनप्रतिनिधियों को न्याय दिये जाने,
9- मुख्यमंत्री जी की घोषणा के बावजूद भी बस्तियों में पेयजल टैंक का निर्माण न करने,
10- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत गौला नदी पर अवैध खनन होने,
11- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में T.R.C. की स्थापना किये जाने,
12- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा के अन्तर्गत ए0डी0बी0 की सड़क लालपुर से आनन्दपुर पर कार्य पूर्ण न होने,

13- उत्तराखण्ड राज्य के आंदोलनकारियों का चिन्हीकरण उचित ढंग से नहीं होने तथा बचे हुए आंदोलनकारी को अभी तक प्रमाण-पत्र नहीं मिल पाने,

14- जनपद ऊधमसिंह नगर के विधान सभा क्षेत्र किच्छा में जर्जर तहसील भवन व एस0डी0एम0 कार्यालय का निर्माण करने।''

14. श्री बिशन सिंह चुफाल

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत स्वालेख रैसापट्टा सड़क का डामरीकरण किये जाने,

2- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत ओगला, तल्ला ओडमा, डागरी सड़क का डामरीकरण किये जाने,

3- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चमू बैण्ड धूरोली सड़क का डामरीकरण किये जाने,

4- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत बुंगाछीना अलगड़ा सड़क का डामरीकरण किये जाने,

5- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत चर्मा गाड़ में नारंगी अबतड़ी के बीच झूला पुल का निर्माण करने,

6- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत रौतिस नदी में थपलबीसा के पास पैदल पुल बनाने,

7- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत भड़गांव से अटल गांव तक ए0सी0पी0 के अन्तर्गत सड़क का निर्माण करने,

8- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत अटल आदर्श गांव मौड़ी को सड़क से जोड़ जाने,

9- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत मड़माले कठपतिया दो बास सड़क के कठपतिया के पास 200 मी0 सड़क का निर्माण करने,

10- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत भागीचौरा सिलोनी सड़क का रूका कार्य पूर्ण करने,

11- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 बगड़ीहाट का उच्चीकरण किये जाने,

12- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत रा0उ0मा0वि0 धारा नौली का उच्चीकरण किये जाने,

13- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत डीडीहाट में मिनी स्टेडियम बनाये जाने,

14- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत गोड़ी हाट में आई.टी.आई. खोले जाने,
15- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत देवलथल उप तहसील को तहसील बनाये जाने,
16- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत कनालीछीना उप तहसील को तहसील बनाये जाने,
17- जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत पलेटा से हबड़ा तक रोप-वे लगाये जाने।''

15. श्री मालचन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के वि0ख0 मोरी का आपदा ग्रस्त क्षेत्र में उल्लेख न होने,
2- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के आपदा ग्रस्त क्षेत्र के मार्गो को खोले जाने,
3- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के-मोरी के आपदा ग्रस्त झुग्गी पीड़ितों को उचित मुआवजा दिये जाने,
4- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के सड़कों से अनछुए क्षेत्रों का संज्ञान लिये जाने,
5- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के विद्यालयों का उच्चीकरण किये जाने,
6- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में आपदा क्षेत्रों को मुआवजा दिये जाने,
7- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला को नया जनपद बनाये जाने,
8- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में नगद फसलों को उचित मूल्य दिये जाने,
9- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के पर्वतीय क्षेत्रों में अस्पताल खोले जाने,
10- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के भूमि कटाव का मुआवजा दिये जाने,
11- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के क्षेत्र में छोटी-2 मण्डियों खोलने,
12- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में सड़क विहीन क्षेत्रों के लिए छोटी-2 रोप-वे बनाये जाने,
13- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में भेड़ पालको के लिए तराई में परमिट दिये जाने,
14- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला के पर्यटन क्षेत्रों को मानचित्र में जोड़ने,

15- जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र पुरोला में पर्यटन क्षेत्रों में रज्जू मार्गों का निर्माण किये जाने।''

16. श्री पुष्कर सिंह धामी

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः–

''किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया हैः–

1- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा में रोड़वेज बस स्टैण्ड की स्थापना किये जाने,
2- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा का निर्माणाधीन सरकारी अस्पताल का यथाशीघ्र निर्माण कार्य पूरा कर संचालन कराये जाने,
3- जनपद उधमसिंह नगर के सीमान्त क्षेत्र के बाढ़ग्रस्त योजनाओं का क्रियान्वयन किए जाने,
4- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में जल भराव की समस्या के निधान हेतु योजना बनाये जाने,
5- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में स्टेडियम की स्थापना किये जाने,
6- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में औद्योगिक पार्क की स्थापना किये जाने,
7- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में एक T.R.C. की स्थापना करने,
8- जनपद उधमसिंह नगर के सीमान्त क्षेत्र बग्गा 54 में सम्पर्क मार्ग बनाये जाने,
9- जनपद उधमसिंह नगर के खटीमा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त सड़कों का निर्माण करने,
10- राज्य के आन्दोलनकारियों की स्थिति आरक्षण के सम्बन्ध में स्पष्ट किए जाने और छूटे हुए लोगों का पुनः चिन्हीकरण करने,
11- जनपद उधमसिंह नगर के नगरा तराई और सिसैना में इण्टरमीडिएट कालेज का उच्चीकरण करने,
12- जनपद उधमसिंह नगर के डिग्री कालेज, खटीमा में कामर्स सहित अन्य विषय प्रारम्भ किये जाने,
13- जनपद उधमसिंह नगर के मेलाघाट में जगबूढ़ा नदी पर पिचिंग का कार्य यथाशीघ्र कराये जाने,
14- राज्य के गन्ना किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाये जाने,
15- राज्य में भूमि सम्बन्धी विवादों का स्थायी हल निकाले जाने,
16- जनपद उधमसिंह नगर के सीमान्त क्षेत्र खटीमा को बाढ़ग्रस्त क्षेत्र घोषित कर विशेष सहायता देने हेतु कारगर कदम उठाये जाने।''

17. श्री यतीश्वरानन्द

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद हरिद्वार के कांगड़ी गांव से श्यामपुर, माजीवाली, चीली, टाटवाला बाढ़ से ग्रस्त गांव पर तटबन्ध बनाये जाने,
2- जनपद हरिद्वार के लालढांग में डिग्री कालेज की स्थापना किये जाने,
3- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत जंगली जानवरों विशेषकर हाथियों से आम जनता और फसल के नुकसान हेतु फेसिंग तार बाढ़ लगाने,
4- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण की खस्ताहाल सड़कों की मरम्मत किये जाने,
5- जनपद हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में 50 बैड हास्पिटल की स्थापना किये जाने,
6- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के अन्तर्गत पॉलिटैक्निक की स्थापना किये जाने,
7- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण के युवाओं के लिए खेलकूद स्टेडियम बनाये जाने।"

18. श्री संजय गुप्ता

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- हरिद्वार जनपद के बाढ़ पीड़ित किसानों के सभी प्रकार के कर्जे माफ करने,
2- हरिद्वार जनपद के लकसर क्षेत्र में गंगा नदी का टूटा बाँध पुनः बनाने,
3- प्रदेश के गन्ना किसानों को पूरा भुगतान किये जाने

19. श्री आदेश चौहान

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1- जनपद हरिद्वार के जिला मुख्यालय रोशनाबाद से धर्म नगरी हरिद्वार को जोड़ने के लिए नये मार्ग का निर्माण कराने,
2- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र रानीपुर के रोशनाबाद, हेत्तमपुर में राजकीय पॉलीटैक्नीक की स्थापना करने,
3- जनपद हरिद्वार के ग्राम रावली महदूद व शिवालिक नगर में नई पेयजल योजना का निर्माण करने,
4- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भेल रानीपुर के अन्तर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालयों/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में छात्रों हेतु फर्नीचर की व्यवस्था करने,

5- जनपद हरिद्वार के बहादराबाद से शिवालिक नगर, भेल अस्पताल होते हुए भेल सैक्टर-2 तक बस का संचालन करने,
6- जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद स्टेडियम में हाकी टर्फ लगाने,
7- जनपद हरिद्वार शिवालिक नगर व भेल सैक्टर-3 के मध्य रानीपुर रोड नदी पर पुल का निर्माण कराने,
8- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भेल रानीपुर के ग्राम सलेमपुर से सिडकुल रोशनाबाद तक सड़क निर्माण करने,
9- जनपद हरिद्वार के हरिद्वार नगर निगम के निकटवर्ती क्षेत्र जगजीतपुर, सीतापुर, गुरुकुल विश्वविद्यालय, हरिलोक, नया गाँव व विष्णुलोक कालोनी को नगर निगम हरिद्वार में शामिल करने,
10- जनपद हरिद्वार के रोशनाबाद से धनौरी तक नये बाईपास मार्ग का निर्माण कराने,
11- जनपद हरिद्वार के शिवालिक नगर में चिकित्सालय की स्थापना करने,
12- जनपद हरिद्वार के हरिद्वार नगर निगम अन्तर्गत ज्वालापुर क्षेत्र के पेयजल नलकूपों पर जनरेटर की व्यवस्था करने,
13- जनपद हरिद्वार के बहादराबाद में साइंस डिग्री कालेज की स्थापना करने,
14- जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र भेल रानीपुर में ज्वालापुर के पुल जब्वाड़ा पर बस अड्डे का निर्माण करने,

20. श्री चन्द्र शेखर

प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाएः-

"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्नलिखित का कोई उल्लेख नहीं किया है :-

1. प्रदेश में दैवीय आपदा से जर्जर व टूटी हुई सड़कों का निर्माण करने,
2. जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुलिया व रपटे आदि को पुनः निर्माण करने,
3. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर गांव में बिजली के जर्जर तारों को बदले जाने,
4. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर के ग्रामों मे पीने के पानी कि समस्या एवं पुराने हैण्ड पम्पों की मरम्मत व नये लगाये जाने,
5. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर गांव में स्कूलों का उच्चीकरण किये जाने,
6. माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जनपद हरिद्वार के ज्वालापुर विधान सभा क्षेत्र के दो पुलों का निर्माण कार्य की घोषणा के 14 महिने व्यतीत होने के बाद भी कार्य प्रारम्भ न किये जाने,

7. प्रदेश के किसानों को गन्ने का भुगतान न होने,
8. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में दो पुलों का स्वीकृत होने पर भी उनका कार्य प्रारम्भ न करने,
9. दैवीय आपदा को 7 माह व्यतीत होने के बाद भी दैवीय आपदा के कार्य का अभी तक क्षेत्र में कोई कार्य प्रारम्भ न करने,
10. जनपद हरिद्वार के विधान सभा क्षेत्र ज्वालापुर में युवा बेरोजगार के लिए क्षेत्र में कोई भी रोजगार का साधन न होने।''